

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/अलेसे-III/6798 दिनांक :- 04/09/2025

कार्यालय आदेश

श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल.नं. 770130) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) हाल पदस्थापन कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ के लिए प्रेषित पूर्व पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी, झुन्झुनूं के पत्र क्रमांक 2095 दिनांक 21.03.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 17.03.2025 से 04.07.2025 तक (कुल 110 दिवस)

उक्त 110 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार उक्त स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक की अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग की डायरी सं. 1815 दिनांक 30.07.2025 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/6798 दिनांक :- 04/09/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कोषाधिकारी, झुन्झुनूं।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बडी सादडी जिला चित्तौडगढ।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 770130) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) हाल पदस्थापन कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बडी सादडी चित्तौडगढ।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)